यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ैठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास , आर0ए0एस0

ाजस्व वाद संख्या : 226/2017

वादी :-

1. जगदीश पुत्र छोगाराम जाति- ढोली निवासी- धनेरिया तहसील- जैतारण जिला- पाली हाल निवासी- रतनगढ करनोस तहसील- पीसांगज जिला- अजमेर राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जेठाराम पुत्र रावतराम
2. कैलाशचन्द पुत्र रावतराम
3. गोविन्दराम पुत्र रावतराम
4. संतोषदेवी पुत्री रावतराम
5. रामकंवरी पुत्री रावतराम
6. पप्पूदेवी बेवा रावतराम जातियान- मेघवाल भांबी निवासीगण- धनेरिया तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।
7. तहसीलदार,जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.08.12.2017**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 25/06/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा- धनेरिया, पटवार हल्का केकीन्दड़ा तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 341 रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें वादी का 02/03 वां हक हिस्सा व अधिकार है। जिसपर वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा शेष 1/3 वें हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण की ह।। वादी व प्रतिवादीगण की उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में तो शामलाती दर्ज है। लेकिन मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। इसी माफिक वादी अपने हक हिसे की भूमि पर काबिज होकर के काश्त करवा रहे हैं एवं वादी के भूमि चारों तरफ मिटटी की खन्दक लगाकर तारबंदी की हुई है। वादी अब इस भूमि का भूरूपांतरण करवाना चाह रहे है। परन्तु भूमि प्रतिवादीगण के शामलाती दर्ज होने की वजह से वादी की भूमि का भूरूपांतरण नहीं हो पा रहा है। इस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार आपसी सहमति से इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा कराने का कहा लेकिन प्रतिवादीगण इससे सहमत नहीं है। तथा वादी द्वारा बंटवाड़ा व तरमीम का बार बार कहने के बावजूद प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है। एवं दिनांक 05/11/2017 को प्रतिवादीगण ने इस भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया है। जिसपर वादी की ओर से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से बंटी हुई है। तथा वादी के हिस्से की भूमि के चारों तरफ मिटटी की खन्दक बनी हुई है। लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत खराब होने से वह वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं कब्जा काश्त में दखलदांजी करने को आमादा है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दृष्कृत्य करने में सफल हो जाते है तो वादी अपने हक हिस्से की भूमि से हमेशा के लिए वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 05/11/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इंकार करने व कब्जा काश्त में दखलदांजी करने पर बमुकाम धनेरिया तहसील जैतारण जिला-पाली में उत्पन्न होता है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या दो व छः की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या एक दो चार पांच को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या दो व छः की ओर से जबाब दावा पेश हुआ जिसमें व्यक्त किया कि राजस्व मौजा गांव धनेरिया में प्रतिवादीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 31-08 बीघा किस्म बारानी दोयम की स्थित होने की बात सत्य है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है जो बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजी की कृषि भूमि में 2/3 हिस्से में वादी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नम्बर 341 रकबा 31-08 बीघा की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है मौके पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। जब मौके पर वादी का कब्जा काश्त ही नहीं है तो आपसी सहमति से अलग-अलग बंटी हुई होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त आराजी कि कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का पीढीयों से मौके पर लगातार कब्जा काश्त है। वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी ने अपने वादपत्र में प्लीडिंग में उक्त आराजी की कृषि भूमि में किस जगह किन पड़ौसों के बीच कितनी लम्बाई व चौड़ाई में स्थित है इसका कोई स्वच्छ उल्लेख नहीं किया है। जब वादी का मौके पर कब्जा नहीं है तो मौके पर आपसी सहमति से बंटी हुई होने एवं भूमि के चारों तरफ मिट्टी की खंदक लगी हुई होने के सारे तथ्य वादी ने अपने वाद पत्र में गलत प्लीड किये है। प्रतिवादीगण पीढीयों से उक्त आराजी की कृषि भूमि भोग रहे है बिना किसी रोक टोक के ऐज ऑफ राईट के शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है उक्त आराजी में कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तो अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से खातेदारी अधिकार नहीं मिलते है न ही कानूनी रूप से बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। केवल मात्र लाठी के बल पर प्रतिवादीगण के मालिकाना अधिकार की जमीन हड़पने की नियत से बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके बंटवाड़ा का दावा किया है जो गलत तथ्यों की प्लीडिंग के आधार पर बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण निर्बाद रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं वो मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसेडिंग होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये भी वादी का वादपत्र कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं होने से काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे खारीज फरमावें।

तनकीयात कायम की गई। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पी डब्ल्यू-01 वादी जगदीश पुत्र छोगाराम व पी डब्ल्यू-02 गवाह कानाराम पुत्र खीयाराम का पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या छः का साक्ष्य प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी डब्ल्यू-1 पप्पूदेवी पत्नी रावतराम का पेश किया। सा.मि. है। उक्त साक्ष्य शपथ पत्रों पर जिरह वकुलाय की पूर्ण की गई। बहस वकुलाय सुनी गई।

बहस समायत की गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, जबाबदावा, तनकीयात एवं प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड से स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादी अपनी आराजी का तकासमा चाहता हैं। लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकार्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा- धनेरिया, पटवार हल्का केकीन्दड़ा तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जगीन खसरा नंबर 341 रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/408 दिनांक 14/06/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/3125 दिनांक 20/06/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहस वकील वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व सरहद मौजा– धनेरिया, पटवार हल्का केकीन्दड़ा तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 341 रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र छोगाराम कौम ढोली सा.धनेरिया हाल निवासी रतनगढ़ तहसील–पीसांगन खातेदार।	341	20-18	बारानी दोयम	
2	जेठाराम कैलाशचन्द्र गोविन्दराम पिता रावतराम संतोषदेवी रामकंवरी पुत्रियां रावतराम पप्पुदेवी पत्नी रावतराम कौम भांबी सा.देह खातेदार।	341/1	10-10	बारानी दोयम	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/06/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner